"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 80] रायपुर, गुरुवार, दिनांक 13 फरवरी 2014— माघ 24, शक 1935

वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 10 फरवरी 2014

अधिसूचना

क्रमांक एफ 10-18/2014/वा. कर (आब.)/पांच (13). — छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 (क्रमांक 2 सन् 1915) की धारा 62 की उपधारा (2) के खण्ड (घ), (ङ), (च), (छ) एवं (ज) के उप-खण्ड (दो) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ आसवनी नियम, 1995 में निम्नलिखित और संशोधन करता है, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त नियमों में :-

1. नियम 3 के उप-नियम (11) में शब्द समूह " दस लाख रुपये" प्रतिस्थापित किया जावे.
2. यह संशोधन दिनांक 01-04-2014 से प्रवृत्त होगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. पी. त्रिपाठी, संयुक्त सचिव.

रायपुर, दिनांक 10 फरवरी 2014

क्रमांक एफ 10-18/2014/वा. कर (आब.)/पांच (13). — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 10-18/2014/वा. कर (आब.)/पांच (13) दिनांक 10 फरवरी, 2014 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. पी. त्रिपाठी, संयुक्त सचिव.

Raipur, the 10th February 2014

NOTIFICATION

No. F 10-18/2014/CT(Ex.)/V(13). — In exercise of the powers conferred in clause (d), (e), (f), (g) and (h) of sub-section (2) of Section 62 of Chhattisgarh Excise Act, 1915 (No. II of 1915), the State Government hereby undertake following further amendment in Chhattisgarh Distillery Rule, 1995 as under, i. e. :-

AMENDMENT

In the above rules :-

1. Substitute-word group "Rupees Ten Lakh" in sub-rule (11) of Rule (3).

2. This amendment shall be applicable from 1st April 2014.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
A. P. TRIPATHI, Joint Secretary.

रायपुर, दिनांक 10 फरवरी 2014

अधिसूचना

क्रमांक एफ 10-19/2014/वा. कर (आब.)/पांच (14). — छत्तीसगढ़ देशी स्प्रिरिट नियम, 1995 के नियम 3-ख द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन एतद्द्वारा नीचे दी गई सारणी के कॉलम नं. (1) में वर्णित अनुज्ञप्ति के लिये सारणी के कॉलम नं. (2) में यथादर्शित वार्षिक अनुज्ञप्ति फीस विहित करती है.

सारणी

अनुज्ञप्ति का प्रकार (1)	वार्षिक अनुज्ञप्ति फीस (2)
सी. एस. 1-ख देशी मदिरा के विनिर्माण तथा बोतल भराई के लिये अनुज्ञप्ति	रुपये 3,00,000/-

2. यह अधिसूचना दिनांक 1 अप्रैल 2014 से प्रभावशील होगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से आदेशानुसार,
ए. पी. त्रिपाठी, संयुक्त सचिव.

रायपुर, दिनांक 10 फरवरी 2014

क्रमांक एफ 10-19/2014/वा. कर (आब.)/पांच (14). — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 10-19/2014/वा. कर (आब.)/पांच (14) दिनांक 10 फरवरी, 2014 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. पी. त्रिपाठी, संयुक्त सचिव.

Raipur, the 10th February 2014

NOTIFICATION

No. F 10-19/2014/CT(Ex.)/V(14). — In exercise of the powers conferred by Rule-3 (b) of Chhattisgarh Country Spirit Rules 1995, the State Government hereby prescribes the annual license fees as in column (2) for the license shown in column (1), of the following table :-

TABLE

Kind of License (1)	Annual License fees (2)
C. S. 1-B License for the manufacture and bottling of country liquor	Rupees 3,00,000/-

2. This amendment shall be applicable from 1st April 2014.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
A. P. TRIPATHI, Joint Secretary.

रायपुर, दिनांक 10 फरवरी 2014

अधिसूचना

क्रमांक एफ 10-20/2014/वा. कर (आब.)/पांच (15). — छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 (क्रमांक 2 सन् 1915) की धारा 62 की उपधारा (3) के परन्तुक के साथ पठित उपधारा (1) तथा उपधारा (2) के खण्ड (घ), (ड), (च), (छ) एवं (ज) के उप-खण्ड (दो) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ देशी स्प्रिरिट नियम, 1995 में निम्नलिखित और संशोधन करता है, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त नियमों में :-

1. नियम 3 के उप-नियम (1) के खण्ड (ख) सी. एस. 1 अनुज्ञप्ति की फीस "एक लाख पचास हजार रुपये" के स्थान पर "दो लाख पच्चीस हजार रुपये" प्रतिस्थापित किया जावे.

2. यह संशोधन दिनांक 1-4-2014 से प्रवृत्त होगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. पी. त्रिपाठी, संयुक्त सचिव.

रायपुर, दिनांक 10 फरवरी 2014

क्रमांक एफ 10-20/2014/वा. कर (आब.)/पांच (15). — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 10-20/2014/वा. कर (आब.)/पांच (15) दिनांक 10 फरवरी, 2014 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. पी. त्रिपाठी, संयुक्त सचिव.

Raipur, the 10th February 2014

NOTIFICATION

No. F 10-20/2014/CT(Ex.)/V(15). — In exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (d), (e), (f), (g) and sub-clause (ii) of clause (h) of sub-section (2) and proviso to sub-section (3) of Section 62 of Chhattisgarh Excise Act, 1915 (No. II of 1915), the State Government hereby prescribes following amendment in Chhattisgarh Country Spirit Rules, 1995 :-

AMENDMENT

In the above rules :-

1. In clause (b) of sub-rule (1) of rule 3, the license fees, of C. S.-1 "rupees one lakh fifty thousand" to be replaced by "rupees two lakh twenty five thousand".

2. This amendment shall be applicable from 1st April 2014.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
A. P. TRIPATHI, Joint Secretary.

रायपुर, दिनांक 10 फरवरी 2014

अधिसूचना

क्रमांक एफ 10-21/2014/वा. कर (आब.)/पांच (16) . — छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 (क्रमांक 2 सन् 1915) की धारा 62 की उपधारा (3) के परन्तुक के साथ पठित उपधारा (1) तथा उपधारा (2) के खण्ड (घ), (ड), (च), (छ) एवं (ज) तथा छत्तीसगढ़ विदेशी मदिरा नियम, 1996 के नियम 8 के उप-नियम (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, इस विभाग द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक एफ 10-6/2010/वा. कर (आब.)/पांच (7) दिनांक 03-02-2010 को अतिष्ठित करते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा प्ररूप एफ. एल. 9 (बोतल भरने की अनुज्ञप्ति) की वार्षिक अनुज्ञप्ति फीस निम्नांकित सारणी में दर्शाए अनुसार दिनांक 01 अप्रैल 2014 से विनिर्दिष्ट करती है :-

सारणी

क्र. (1)	अनुज्ञप्ति का प्रकार (2)	वार्षिक अनुज्ञप्ति फीस (3)
(1)	एफ. एल. 9 अनुज्ञप्ति बोतल भरने की अनुज्ञप्ति	रुपये 7,00,000/-

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. पी. त्रिपाठी, संयुक्त सचिव.

रायपुर, दिनांक 10 फरवरी 2014

क्रमांक एफ 10-21/2014/वा. कर (आब.)/पांच (16). — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 10-21/2014/वा. कर (आब.)/पांच (16) दिनांक 10 फरवरी, 2014 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. पी. त्रिपाठी, संयुक्त सचिव.

Raipur, the 10th February 2014

NOTIFICATION

No. F 10-21/2014/CT(Ex.)/V(16). — In exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (d), (e), (f), (g) and (h) of sub-section (2) and proviso to sub-section (3) of Section 62 of Chhattisgarh Excise Act, 1915 (No. II of 1915), and sub-rule (2) of Rule 8 of Chhattisgarh Foreign Liquor Rules, 1996 and in supersession of this Department Notification No. F-10-6/2010/C. T. (Ex.)/V(7), date 03-02-2010, the State Government hereby prescribes the annual licence fee for F. L. 9 (Bottling Licence) to be applicable from 1st April 2014 as per table given below :-

TABLE

S. No. (1)	Kind of License (2)	Annual License fee (3)
1.	F. L. 9 License License for Bottling	Rupees 7,00,000/-

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
A. P. TRIPATHI, Joint Secretary.

रायपुर, दिनांक 10 फरवरी 2014

अधिसूचना

क्रमांक एफ 10-22/2014/वा. कर (आब.)/पांच (17). — छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 (क्रमांक 2 सन् 1915) की धारा 62 की उप-धारा (3) के परन्तुक के साथ पठित उप-धारा (1) तथा उप-धारा (2) के खण्ड (घ), (ङ), (च), (छ) एवं (ज) तथा छत्तीसगढ़ विदेशी मदिरा नियम, 1996 के नियम 8 के उप-नियम (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, तथा इस विभाग द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक एफ 10-8/2011/वा. कर (आब.)/पांच (9) दिनांक 05-02-2011 को अतिष्ठित करते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा प्ररूप एफ. एल. 9 क (विशेष बोतल भराई की अनुज्ञप्ति) की वार्षिक अनुज्ञप्ति फीस निम्नांकित सारणी में दर्शाए अनुसार दिनांक 01 अप्रैल 2014 से विनिर्दिष्ट करती है :-

सारणी

क्र. (1)	अनुज्ञप्ति का प्रकार (2)	वार्षिक अनुज्ञप्ति फीस (3)
(1)	एफ. एल. 9क अनुज्ञप्ति विशेष बोतल भराई की अनुज्ञप्ति	रुपये 2,00,000/- प्रति फ्रेन्चाईजी

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. पी. त्रिपाठी, संयुक्त सचिव.

रायपुर, दिनांक 10 फरवरी 2014

क्रमांक एफ 10-22/2014/वा. कर (आब.)/पांच (17). — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 10-22/2014/वा. कर (आब.)/पांच (17) दिनांक 10 फरवरी, 2014 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. पी. त्रिपाठी, संयुक्त सचिव.

Raipur, the 10th February 2014

NOTIFICATION

No. F 10-22/2014/CT(Ex.)/V(17). — In exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (d), (e), (f), (g) and (h) of sub-section (2) and proviso to sub-section (3) of Section 62 of Chhattisgarh Excise Act, 1915 (No. II of 1915), and sub-rule (2) of Rule 8 of Chhattisgarh Foreign Liquor Rules, 1996 and in supersession of this Department Notification No. F-10-8/2011/C. T. (Ex.)/V(9), date 05-02-2011, the State Government hereby Prescribes the annual licence fee for F. L. 9A (Special Bottling Licence) to be applicable from 1st April 2014 as per table given below :-

TABLE

S. No. (1)	Kind of License (2)	Annual License fee (3)
1.	F. L. 9 A Licence Special Bottling License	Rupees 2,00,000/- per franchisee

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
A. P. TRIPATHI, Joint Secretary.

रायपुर, दिनांक 10 फरवरी 2014

अधिसूचना

क्रमांक एफ 10-23/2014/वा. कर (आब.)/पांच (18). — छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 (क्रमांक 2 सन् 1915) की धारा 62 की उपधारा (1) तथा उपधारा (2) के खण्ड (ज) के उपखण्ड (दो) सहपठित छत्तीसगढ़ विदेशी मदिरा नियम, 1996 के नियम 8 के उप-नियम (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन एतद्द्वारा इस संबंध में जारी पूर्व की अधिसूचना क्रमांक एफ-10-8/2004/वा. कर (आब.)/पांच (31), दिनांक 25 फरवरी, 2004 को अतिष्ठित करते हुए प्रारूप एफ. एल. 10 (विनिर्माता की वितरण अनुज्ञप्ति) के लिये वार्षिक अनुज्ञप्ति फीस रुपये 2,00,00,000/- (अक्षरी रुपये दो करोड़) केवल विहित करती है.

2. यह संशोधन दिनांक 1 अप्रैल 2014 से प्रवृत्त होगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. पी. त्रिपाठी, संयुक्त सचिव.

रायपुर, दिनांक 10 फरवरी 2014

क्रमांक एफ 10-23/2014/वा. कर (आब.)/पांच (18). — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 10-23/2014/वा. कर (आब.)/पांच (18) दिनांक 10 फरवरी, 2014 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. पी. त्रिपाठी, संयुक्त सचिव.

Raipur, the 10th February 2014

NOTIFICATION

No. F 10-23/2014/CT(Ex.)/V(18). — In exercise of the powers conferred in sub-section (1) and sub-clause (ii) of clause (h) of sub-section (2) of Section 62 of Chhattisgarh Excise Act, 1915 (No. II of 1915), read with sub-rule (2) of rule 8 of Chhattisgarh foreign Liquor Rules, 1996 in supersession of the Notification No. F-10-8/2004/C. T. (Ex.)/V(31), date 25th February 2004, the State Government hereby prescribes the annual license fees for F. L.-10 Licence (Manufacturer's Distribution Licence) as Rupees 2,00,00,000/-(Rupees Two Crores) only.

2. This amendment shall be applicable from 1st April 2014.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
A. P. TRIPATHI, Joint Secretary.

रायपुर, दिनांक 10 फरवरी 2014

अधिसूचना

क्रमांक एफ 10-24/2014/वा. कर (आब.)/पांच (19). — छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 (क्रमांक 2 सन् 1915) की धारा 62 की उपधारा (3) के परन्तुक के साथ पठित उपधारा (1) तथा उपधारा (2) के खण्ड (घ), (ङ), (च), (छ), एवं (ज) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन एतद्द्वारा, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 10/12/2004/वा. कर (आब.)/पांच (43), दिनांक 9 मार्च, 2004 को अतिष्ठित करते हुए परिशोधित मदिरा नियमों में निम्नलिखित और संशोधन करता है, यथा :-

संशोधन

उक्त नियमों में :-

1. नियम 4 के खण्ड (i) के उप-खण्ड (ज) में "एक रुपये, पच्चीस पैसे" के स्थान पर "दो रुपये पचास पैसे" प्रतिस्थापित किया जावे.

2. यह संशोधन दिनांक 1 अप्रैल 2014 से प्रवृत्त होगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. पी. त्रिपाठी, संयुक्त सचिव.

रायपुर, दिनांक 10 फरवरी 2014

क्रमांक एफ 10-24/2014/वा. कर (आब.)/पांच (19). — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 10-24/2014/वा. कर (आब.)/पांच (19) दिनांक 10 फरवरी, 2014 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. पी. त्रिपाठी, संयुक्त सचिव.

Raipur, the 10th February 2014

NOTIFICATION

No. F 10-24/2014/CT(Ex.)/V(19). — In exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (d), (e), (f), (g) and (h) of sub-section (2) and proviso to sub-section (3) of Section 62 of Chhattisgarh Excise Act, 1915 (No. II of 1915), in supersession of the Notification No. F/10/2004/C. T. (Ex.)/V(43), dated 9th March 2004, the State Government hereby prescribes the following more amendment in Rectified Spirit Rules, as :-

AMENDMENT

In above rules :-

1. In sub-clause (h) of clause (i) of Rule IV, "one rupees, twenty-five paise" to be replaced by, "two rupees fifty paise".

2. This amendment shall be applicable from 1st April 2014.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
A. P. TRIPATHI, Joint Secretary.

रायपुर, दिनांक 10 फरवरी 2014

अधिसूचना

क्रमांक एफ 10-25/2014/वा. कर (आब.)/पांच (20) . — छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 (क्रमांक 2 सन् 1915) की धारा 62 की उपधारा (2) के खण्ड (घ), (ङ), (च), (छ), एवं (ज) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन एतद्द्वारा रेक्टीफाईड स्प्रिट (आर. एस.) के परिवहन के लिये नीचे विनिर्दिष्ट किये गये अनुसार परिवहन फीस दिनांक 01-04-2014 से विहित करती है :-

परिवहन फीस

रेक्टीफाईड स्प्रिट (आर. एस.) - रुपये 200/- प्रति अनुज्ञा पत्र, परिवहन की जाने वाली मात्रा पर विचार किये बिना

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. पी. त्रिपाठी, संयुक्त सचिव.

रायपुर, दिनांक 10 फरवरी 2014

क्रमांक एफ 10-25/2014/वा. कर (आब.)/पांच (20). — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 10-25/2014/वा. कर (आब.)/पांच (20) दिनांक 10 फरवरी, 2014 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. पी. त्रिपाठी, संयुक्त सचिव.

Raipur, the 10th February 2014

NOTIFICATION

No. F 10-25/2014/CT(Ex.)/V(20). — In exercise of the powers conferred in clause (d), (e), (f), (g) and (h) of sub-section (2) of Section 62 of Chhattisgarh Excise Act, 1915 (No. II of 1915), the State Government hereby prescribes the Transport fees for the transport of Rectified Spirit (R. S.) to be applicable from 01-04-2014 as follows :-

TRANSPORT FEES

Rectified Spirit (R. S.) - Rs. 200/- per permit, irrespective of the quantity to be transported

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
A. P. TRIPATHI, Joint Secretary.

रायपुर, दिनांक 10 फरवरी 2014

अधिसूचना

क्रमांक एफ 10-26/2014/वा. कर (आब.)/पांच (21). — छत्तीसगढ़ विदेशी मदिरा नियम, 1996 के नियम 18 के उप-नियम (13) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, तथा इस संबंध में जारी की गई पूर्व की अधिसूचनाओं को अतिष्ठित करते हुए, राज्य शासन एतद्द्वारा यह निर्देश देती है कि विदेशी मदिरा (स्प्रिट) के आयात पर, आयात फीस नीचे दी गई सारणी के कॉलम (3) में निर्दिष्ट दर विहित करती है :-

सारणी

क्र. (1)	विदेशी मदिरा का प्रकार (2)	आयात फीस की दर (3)
(1)	विदेशी मदिरा स्प्रिट हेतु	रुपये 30/- प्रति प्रूफ लीटर

2. यह संशोधन दिनांक 01-04-2014 से प्रवृत्त होगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. पी. त्रिपाठी, संयुक्त सचिव.

रायपुर, दिनांक 10 फरवरी 2014

क्रमांक एफ 10-26/2014/वा. कर (आब.)/पांच (21). — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 10-26/2014/वा. कर (आब.)/पांच (21) दिनांक 10 फरवरी, 2014 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. पी. त्रिपाठी, संयुक्त सचिव.

Raipur, the 10th February 2014

NOTIFICATION

No. F 10-26/2014/CT(Ex.)/V(21). — In exercise of the powers conferred by sub-rule (13) of rule 18 of Chhattisgarh Foreign Liquor Rules, 1996 and in supersession of the Notification issued in this context, the State Government hereby prescribes the import fees for import of foreign liquor (spirit), as shown in column (3) of the following table :-

TABLE

S. No. (1)	Kind of Foreign Liquor (2)	Rate of Import fee (3)
1.	Fore foreign liquor (spirit)	Rs. 30/- per proof litre

2. This amendment shall be applicable from 1st April 2014.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
A. P. TRIPATHI, Joint Secretary.

रायपुर, दिनांक 10 फरवरी 2014

अधिसूचना

क्रमांक एफ 10-27/2014/वा. कर (आब.)/पांच (22). — छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 (क्रमाक 2 सन् 1915) की धारा 62 की उपधारा (2) के खण्ड (घ), (ड़), (च), (छ) एवं (ज) सहपठित छत्तीसगढ़ विदेशी मदिरा नियम, 1996 के नियम 18 के उप-नियम (13) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ विदेशी मदिरा नियम, 1996 में निम्नलिखित और संशोधन करता है, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त नियमों में :-

1. नियम 14 के उप-नियम (2) में शब्द समूह "एक सौ रुपये" के स्थान पर शब्द समूह "दो सौ रुपये" प्रतिस्थापित किया जावे.

2. यह संशोधन दिनांक 01-04-2014 से प्रवृत्त होगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. पी. त्रिपाठी, संयुक्त सचिव.

रायपुर, दिनांक 10 फरवरी 2014

क्रमांक एफ 10-27/2014/वा. कर (आब.)/पांच (22). — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 10-27/2014/वा. कर (आब.)/पांच (22) दिनांक 10 फरवरी, 2014 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. पी. त्रिपाठी, संयुक्त सचिव.

Raipur, the 10th February 2014

NOTIFICATION

No. F 10-27/2014/CT(Ex.)/V(22). — In exercise of the powers conferred in clause (d), (e), (f), (g) and (h) of sub-section (2) of Section 62 of Chhattisgarh Excise Act, 1915 (No. II of 1915), and sub-rule (13) of Rule-18 of Chhattisgarh Foreign Liquor Rules, 1996 the State Government hereby prescribes further more amendment in Chhattisgarh Foreign Liquor Rules, 1996, i. e.

AMENDMENT

In above Rules :-

1. Substitute- "Rupees two hundred" in place of "Rupees One hundred" word-group in sub-rule (2) of rule-14

2. This amendment shall be applicable from 1st April 2014.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
A. P. TRIPATHI, Joint Secretary.

रायपुर, दिनांक 10 फरवरी 2014

अधिसूचना

क्रमांक एफ 10-28/2014/वा. कर (आब.)/पांच (23). — छत्तीसगढ़ विदेशी मदिरा नियम, 1996 के नियम 18 के उप-नियम (13) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, तथा इस संबंध में जारी की गई पूर्व की अधिसूचनाओं को अतिष्ठित करते हुए, राज्य शासन एतद्द्वारा यह निर्देश देती है कि विदेशी मदिरा (माल्ट) के आयात पर, आयात फीस नीचे दी गई सारणी के कॉलम (3) में निर्दिष्ट दर विहित करती है :-

सारणी

क्र. (1)	विदेशी मदिरा का प्रकार (2)	आयात फीस की दर (3)
(1)	माल्ट, लिकर जिसमें बियर, ऐल, पोर्टर, स्टाउट एवं साइडर सम्मिलित है, हेतु :-	रुपये 14/- प्रति बल्कलीटर

2. यह संशोधन दिनांक 1-04-2014 से प्रवृत्त होगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. पी. त्रिपाठी, संयुक्त सचिव.

रायपुर, दिनांक 10 फरवरी 2014

क्रमांक एफ 10-28/2014/वा. कर (आब.)/पांच (23). — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 10-28/2014/वा. कर (आब.)/पांच (23) दिनांक 10 फरवरी, 2014 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. पी. त्रिपाठी, संयुक्त सचिव.

Raipur, the 10th February 2014

NOTIFICATION

No. F 10-28/2014/CT(Ex.)/V(23). — In exercise of the powers conferred by sub-rule (13) of rule (18) of Chhattisgarh Foreign Liquor Rules, 1996, and on supersession of earlier notification in this context, the State Government prescribes the import fees on the import of foreign liquor (malt) as shown in column (3) of the table below :-

TABLE

S. No. (1)	Kind of Foreign Liquor (2)	Rate of Import fee (3)
1.	For Malt liquor including Beer, Ale, Porter, Stout and Cider	Rs. 14/- per bulk litre

2. This amendment shall be applicable from 1st April 2014.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
A. P. TRIPATHI, Joint Secretary.

रायपुर, दिनांक 10 फरवरी 2014

अधिसूचना

क्रमांक एफ 10-29/2014/वा. कर (आब.)/पांच (24). — छत्तीसगढ़ विदेशी मदिरा नियम, 1996 के नियम 18 के उप-नियम (13) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन एतद्द्वारा निर्दिष्ट करती है कि एफ. एल. 9 अनुज्ञप्तिधारी द्वारा बोतल भराई फीस के लिये बोतलों पर (बोतल में सम्मिलित है मेग्नम, क्वार्ट, पिन्ट या निप बोतल) रुपये 2.00 प्रति प्रूफ लीटर की दर से देय विहित करती है.

2. यह अधिसूचना दिनांक 01-04-2014 से प्रवृत्त होगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. पी. त्रिपाठी, संयुक्त सचिव.

रायपुर, दिनांक 10 फरवरी 2014

क्रमांक एफ 10-29/2014/वा. कर (आब.)/पांच (24). — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 10-29/2014/वा. कर (आब.)/पांच (24) दिनांक 10 फरवरी, 2014 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. पी. त्रिपाठी, संयुक्त सचिव.

Raipur, the 10th February 2014

NOTIFICATION

No. F 10-29/2014/CT(Ex.)/V(24). — In exercise of the powers conferred by sub-rule (13) of rule 18 of Chhattisgarh Foreign Liquor Rules, 1996 the State Government hereby prescribes the bottling fees for the bottles (bottle includes Magnam, Quart, Pint or Nip bottle) for F. L.9 licensee as Rupees 2 per proof litre.

2. This amendment shall be applicable from 1st April 2014.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
A. P. TRIPATHI, Joint Secretary.

रायपुर, दिनांक 10 फरवरी 2014

अधिसूचना

क्रमांक एफ 10-30/2014/वा. कर (आब.)/पांच (25). — छत्तीसगढ़ विदेशी मदिरा नियम, 1996 के नियम 18 के उप-नियम (13) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन एतद्द्वारा पूर्व जारी की गई अधिसूचना क्रमांक एफ10/42/2003/वा. कर (आब.)/पांच (54), दिनांक 03 जून 2003 को अतिक्रमित करते हुए, भारत निर्मित विदेशी मदिरा को बोतल में भरने के लिए एफ. एल. 9क अनुज्ञप्तिधारियों हेतु निम्नानुसार बोतल भराई (बॉटलिंग) फीस विनिर्दिष्ट करता है :-

1. एफ. एल. 9क अनुज्ञप्तिधारी द्वारा देय विशेष बोतल भराई फीस -

क्र.	विदेशी मदिरा का प्रकार	विशेषाधिकार (फ्रंचाईज) व्यवस्था के अधीन भारत में निर्मित विदेशी मदिरा के बोतल भराई (बॉटलिंग) का विवरण	देय बोतल भराई फीस (बॉटलिंग फीस)
(1)	(2)	(3)	(4)
(1)	स्प्रिट हेतु		
	(क)	छत्तीसगढ़ में ही विक्रित होने वाले प्रत्येक छाप (ब्राण्ड) और लेबल हेतु.	रुपये 20.00 प्रति प्रूफ लीटर
	(ख)	प्रदेश के निर्यात होने वाले प्रत्येक छाप (ब्राण्ड) और लेबल हेतु.	रुपये 2.00 प्रति प्रूफ लीटर

2. यह अधिसूचना दिनांक 01-04-2014 से प्रवृत्त होगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. पी. त्रिपाठी, संयुक्त सचिव.

रायपुर, दिनांक 10 फरवरी 2014

क्रमांक एफ 10-30/2014/वा. कर (आब.)/पांच (25). — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 10-30/2014/वा. कर (आब.)/पांच (25) दिनांक 10 फरवरी, 2014 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. पी. त्रिपाठी, संयुक्त सचिव.

Raipur, the 10th February 2014

NOTIFICATION

No. F 10-30/2014/CT(Ex.)/V(25). — In exercise of the powers conferred by sub-rule (13) of rule (18) of Chhattisgarh Foreign Liquor Rules, 1996, in supersession of the earlier notification No. F-10/42/2003/C. T. (Ex.)/V(54), date 03rd June 2003 the State Government prescribes the bottling fees for filling of Indian Made Foreign Liquor (IMFL) in the bottles for F. L. 9 (A) licensees as follows :-

1. Bottling fees payable by F. L. 9(A) licensee :-

S. No.	Type of foreign liquor	Description of Indian Made Foreign Liquor To be bottled under franchise arrangement	Bottling fees payable
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Spirit		
	(a)	For each brand and label to be sold in Chhattisgarh only.	Rs. 20.00 per proof litre
	(b)	For each brand and label to be exported.	Rs. 2.00 per proof litre

2. This amendment shall be applicable from 1st April 2014.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
A. P. TRIPATHI, Joint Secretary.

रायपुर, दिनांक 10 फरवरी 2014

अधिसूचना

क्रमांक एफ 10-31/2014/वा. कर (आब.)/पांच (26). — छत्तीसगढ़ विदेशी मदिरा नियम, 1996 के नियम 18 के उप-नियम (13) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन एतद्द्वारा भारत निर्मित विदेशी मदिरा (माल्ट) को लिए, बोतल में भरने के लिए एफ. एल. 9क अनुज्ञप्तिधारियों हेतु निम्नानुसार बोतल भराई (बॉटलिंग) फीस विनिर्दिष्ट करता है :-

1. एफ. एल. 9क अनुज्ञप्तिधारी द्वारा देय विशेष बोतल भराई फीस -

क्र.	विदेशी मदिरा का प्रकार	विशेषाधिकार (फ्रंचाईज) व्यवस्था के अधीन भारत में निर्मित विदेशी मदिरा के बोतल भराई (बॉटलिंग) का विवरण	देय बोतल भराई फीस (बॉटलिंग फीस)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	माल्ट हेतु (माल्ट में बीयर, ऐल, स्टाउट, पोर्टर तथा साइडर सम्मिलित है)	छत्तीसगढ़ राज्य में ही विक्रित होने वाली माल्ट मदिरा की विशेष बोतल भराई हेतु.	रुपये 10.00 प्रति बल्क लीटर

2. यह अधिसूचना दिनांक 01-04-2014 से प्रवृत्त होगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. पी. त्रिपाठी, संयुक्त सचिव.

रायपुर, दिनांक 10 फरवरी 2014

क्रमांक एफ 10-31/2014/वा. कर (आब.)/पांच (26). — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 10-31/2014/वा. कर (आब.)/पांच (26) दिनांक 10 फरवरी, 2014 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. पी. त्रिपाठी, संयुक्त सचिव.

Raipur, the 10th February 2014

NOTIFICATION

No. F 10-31/2014/CT(Ex.)/V(26). — In exercise of the powers conferred by sub-rule (13) of rule (18) of Chhattisgarh Foreign Liquor Rules, 1996, the State Government prescribes the bottling fees for bottling of Indian Made Foreign Liquor (Malt) for F. L. 9 (a) licensees as follows :-

1. Special Bottling fees payable by F. L. 9(a) licensee :-

S. No.	Type of foreign liquor	Description of Indian Made Foreign Liquor To be bottled under franchise arrangement	Bottling fees payable
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	For Malt liquor including Beer, Ale, Stout, Porter and Cider	For special bottling of Malt liquor to be sold in Chhattisgarh only.	Rs. 10.00 per bulk litre

2. This amendment shall be applicable from 1st April 2014.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
A. P. TRIPATHI, Joint Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2014.